छटवीं अखिल भारतीय विभागीय
हिन्दी संगोष्ठी, तिरुवन्तपुरम
दिनांक 01.06.2017 से 02.06.2017

विषयः हिन्दी राजभाषा और इसका कार्यान्वयन

कुँवर अजय सिंह
वैज्ञानिक सहायक
सूचना संचार एवं उपकरण प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली
भारत मौसम विज्ञान विभाग
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

भाषा

❑अपने भावों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति का सीधा सादा नाम भाषा है।

❑भाषा के द्वारा केवल भावों को ही अभिव्यक्त नहीं किया जाता वरन् राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने और बंधुत्व की भावना जगाने का एक मात्र स्रोत भाषा ही है।

❑भाषा ही मनुष्य की उपलब्धियों, सभ्यता एवं संस्कृति की आधारशिला है। भाषा के विषय में कहा गया है

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवत्रयम् ।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसार न दीप्यते ।।

अर्थात् यदि विश्व में शब्द नामक ज्योति-भाषा प्रदीप्त नहीं हुई होती तो तीनों लोकों में घोर अंधकार होता । शब्द की बड़ी महत्ता है इसलिए वेदों में ही कहा गया है - शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म ।

❑भाषा अपनी सभ्यता और संस्कृति की प्रबल वाहिका होती है।

भाषा

❑भाषा न केवल व्यक्ति के भावों एवं विचारों के परस्पर विनिमय का माध्यम होती है, वरन् वह उसके सामाजिक - सांस्कृतिक पक्षों एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अस्मिता का आधार होती है।

❑भाषा संस्कृति की बुनियाद होती है। एक समग्र अस्मिता का साधन ही भाषा होती है। भाषा के साथ उसके बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार जुड़े होते है।

❑भाषा के महत्व की यह कसौटी केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र की अस्मिता की पहचान के लिए भी लागू होती है।

❑मानव को ईश्वर से प्राप्त भाषा ऐसा महान वरदान है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त उपलब्धियाँ, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि आज तक सुरक्षित है। भाषा के अभाव में मनुष्य मूक जंगली पशु जैसा हो जाता है।

हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

❑ हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिन्धु शब्द से हुई है सिन्धु नदी के क्षेत्र में आने कारण, ईरानी लोग इसे सिन्धु न कहकर हिन्दू कहने लगे जिसके कारण यहाँ के लोग हिन्द, हिन्दू और हिंदुस्तान कहलाने लगे । हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ. सिंधु→ हिन्दु→ हिन्दईं→ हिंदी। हिंदी' का अर्थ है—'हिन्द का'। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिन्द देश के निवासियों के अर्थ में हुई।

❑ भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया है।

❑हिंदी विश्व की चीनी भाषा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी हमारे देश भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, फिजी, मॉरिसस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे लिये गर्व की बात है कि आज विदेशों मे चालीस से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालय और स्कूलों में हिन्दी विशेष रूप से पढाई जा रही है।

❑हिंदी भाषा भारत के अतिरिक्त जहाँ प्रवासी भारतीय रहते है उनमे भी अधिक संख्या में हिंदी बोली जाती है जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, कनाडा, युंगाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन के अतिरिक्त बहुत से देशो में बोली जाती है।

हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व के सबसे उन्नत भाषाओ में हिंदी भाषा सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। अर्थात हम जो हिंदी में लिखते है वही बोलते भी है और वही उसका मतलब भी होता है जबकि अन्य भाषाओ में ऐसा नही है ।
- हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत ही बड़ा है हिंदी भाषा में अपनी किसी भी एक भावना को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द है जो की अन्य भाषाओ की तुलना में अपने आप में अद्भुत है। हिंदी भाषा के मूल शब्दों में लगभग ढाई लाख से अधिक शब्द है ।
- हिंदी लिखने के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।
- हिंदी भाषा की यह भी विशेषता है की देशी और बोले जाने वाली बोलियों के शब्दों को अपने आप में आत्मसात कर लेती है।
- हिंदी भारत के स्वतंत्रता-संग्राम की वाहिका और वर्तमान में देशप्रेम का अमूर्त-वाहन है। हिन्दी भारतीयता की चेतना है तथा सभी प्रांतीय भाषाओ संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है ।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में प्रमुख कठिनाई

- राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी का अभाव
- कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में कठिनाई
- अंग्रेज़ी में निरंतर कार्य करने की आदत
- हिंदी के प्रति हीन भावना की मानसिकता
- प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति एवं दंड के अभाव में नियमों की उपेक्षा एवं अवहेलना

राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी का अभाव

- अधिकतर कर्मचारियों को राजभाषा नियमों की जानकारी नहीं होना।
- इसका प्रमुख कारण है विधि की भाषा की दुरुहता तथा इसके प्रति अरूचि की भावना
- नियमों की जानकारी के अभाव में कर्मचारियों से जाने-अनजाने राजभाषा नियमों का उल्लंघन होता है ।

सुझाव (समाधान)

- प्रमुख नियमों को अति संक्षेप में तथा बेहद सरल भाषा में कर्मचारियों को ज्ञात कराना चाहिए।
- यह आवश्यक नहीं कि सभी कर्मचारियों को सभी नियम का ज्ञान हो। परंतु प्रमुख नियमों के सार का ज्ञान बेहद जरूरी होना चाहिए।

महत्वपूर्ण नियम

❑संविधान के अनुच्छेद 343, राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 एवं 1976 के अनुसार भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में सभी कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के ही निर्देश हैं।

❑अनुच्छेद 343 के अनुसार: संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी ।अंकों के लिये भारतीय अंकों का **अंतर्राष्ट्रीय** रूप मान्य होगा।

❑केंद्र सरकार के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य तथा अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तहत प्रशिक्षण अनिवार्य है।

❑राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत अनुपालन । धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों, विधियों, करारों ,निविदा ,प्रारूपों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ का प्रयोग किया जाए।

❑राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना।

❑पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद पर किए गए व्यय का न्यूनतम 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय

महत्वपूर्ण नियम

❑राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के तहत रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी हो तथा इनमें प्रविष्टियां भी हिंदी में होनी चाहिए।

इसी नियम के तहत रबड़ की सभी मोहरें, साइनबोर्ड, सील, पत्रशीर्ष, नामपट्ट, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज, लोगो, मोनोग्राम तथा चार्ट तथा नक्शे आदि द्विभाषी होने चाहिए।

❑"ग" क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों को न्यूनत्तम 55% पत्राचार का लक्ष्य निधारित किया गया है।

❑"क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में होने चाहिए।

❑सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

❑प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

अनुच्छेद 351 संविधान विषयक भाषा नीति का मुख्य अंग है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि यह हिंदी भाषा के विकास प्रसार हेतु प्रयत्न करेगी, जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके। साथ ही हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृद्द किया जाए।

राजभाषा नियम-1976 यथा - संशोधित-1987

इसमें कुल 12 नियम एवं 20 उपनियम हैं। राजभाषा के प्रयोग. कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर पूरे देश को अघोलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

^d* {ks=	&	blds v/khu mÙkjizns'k] mÙkjkapy] fgekpy izns'k] fcgkj] >kj[kaM] e/;izns'k] NÙkhlx<+] jktLFkku] fnYyh] gfj;k.kk] vaMeku fudksckj }hi lewg vkrs gSaA
^[k* {ks=	&	xqtjkr] egkjk"Vª] iatkc rFkk paMhx<+
^x* {ks=	&	vka/kzizns'k] dukZVd] rfeyukMq] ikafMpsjh] dsjy] xksok] v:.kkpy izns'k ,oa vU; lHkh tks d ,oa [k {ks= esa ugha vkrs gSaA

भारत का राजभाषा की दृष्टि से क्षेत्रवार वर्गीकरण

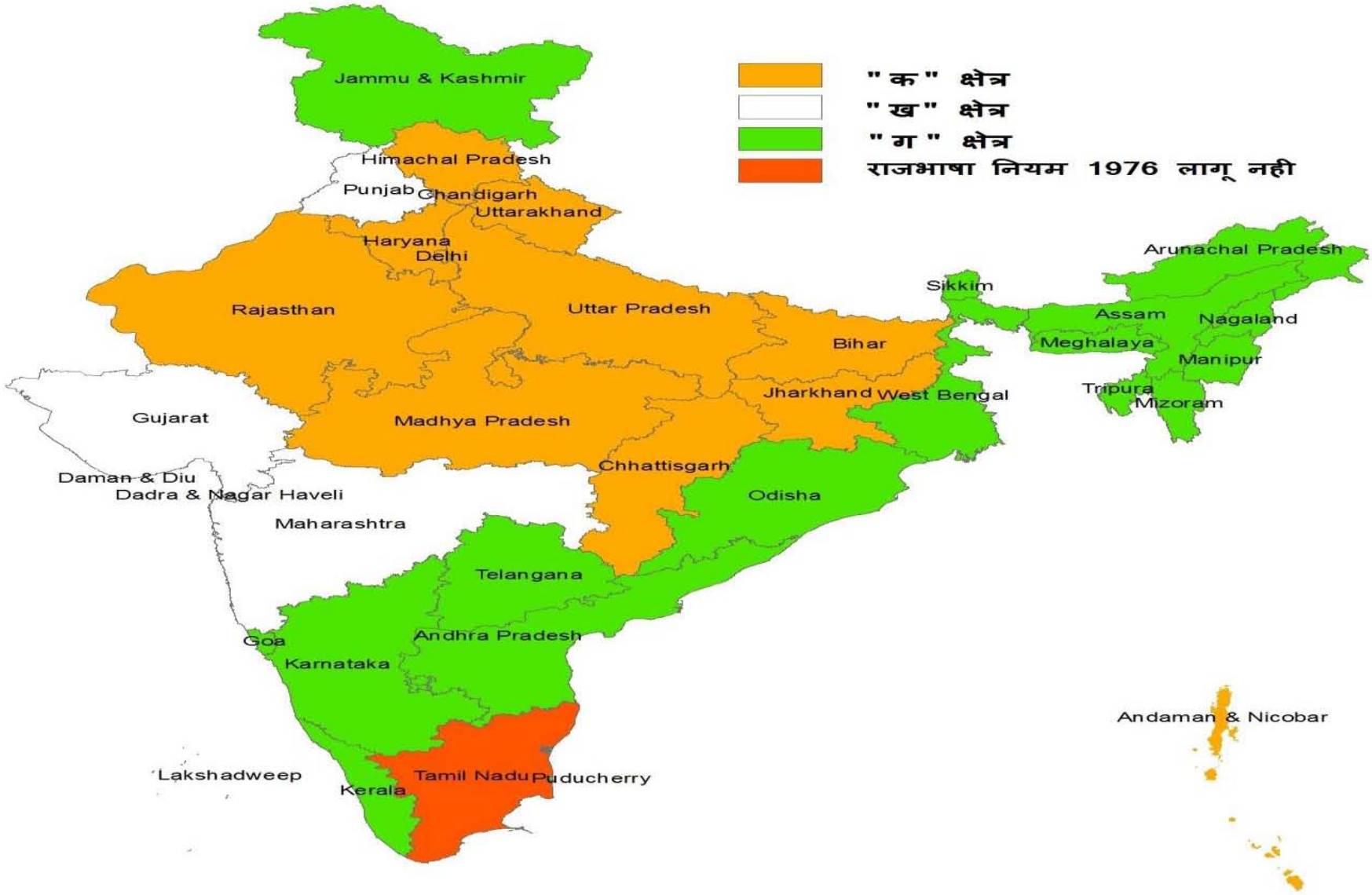

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची

भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं

1. हिंदी
2. नेपाली
3. कोकंणी
4. मणिपुरी
5. बोडो
6. संताली
7. मैथिली
8. उर्दू
9. कन्नड़ा
10. कश्मीरी
11. गुजराती
12. तमिल
13. तेलुगु
14. पंजाबी
15. संस्कृत
16. सिंधी
17. डोगरी
18. असमिया
19. उड़िया
20. मलयालम
21. बंगाली
22. मराठी

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3)

(क)	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3)	
1.	अपेक्षा	जांच बिन्दु
	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में की गई अपेक्षा के अनुसार सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति, संसद के एक अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज, संविदा, लाइसेंस आदि हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ–साथ जारी करने आवश्यक हैं।	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में दिए गए सभी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। यदि कार्य की प्रकृति तत्काल स्वरूप की है और हिंदी अनुवाद की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती तो ऐसी स्थिति में केवल अंग्रेजी में इस प्रकार के कागजात जारी करने के लिए संयुक्त सचिव से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात, हिंदी अनुवाद की व्यवस्था कराकर उसे भी जारी करना अनिवार्य है।

राजभाषा अधिनियम 1963
26 जनवरी 1965 से लागू और 1967 में संशोधन

धारा 3(3) ये कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में साथ.साथ जारी किए जाएं ।

संकल्प	RESOLUTION
अधिसूचनाएं	NOTIFICATION
अनुज्ञप्तियाँ / अनुज्ञा पत्र	LISENCE/PERMITS
करार	AGREEMENTS
नियम	RULES
निविदा प्रपत्र	TENDER FORMS
सूचनाएं	NOTICES
निविदा सूचनाएं	TENDER FORMS
प्रतिवेदन	NOTICES
प्रेस विज्ञप्तियां	TENDER NOTICES
संविदाएं	REPORTS
सामान्य आदेश	PRESS COMMUNIQUE
संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात	CONTRACTS
	GENERAL ORDERS
	PAPERS LAID BEFORE THE PARLIAMENT

हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना

(ख)	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना	
	अपेक्षा	जांच बिन्दु
2.	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में मिले पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है।	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र, आवेदन, अभ्यावेदन पर डाक देखने और मार्क करने के स्तर पर अधिकारी द्वारा ऐसे पत्रों अथवा अभ्यावेदनों पर "पत्र का उत्तर हिंदी में भेजा जाए" शब्द अंकित किए जाएं। ऐसे पत्रों के उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में ही दिए जा रहे हैं।

कंप्यूटरों की खरीद

(घ)	कम्प्यूटरों की खरीद	
	अपेक्षा	जांच बिन्दु
4.	राजभाषा अनुदेशों के अनुसार केवल वे ही कम्प्यूटर खरीदे जाने चाहिए जिनमे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो।	परिषद में कम्प्यूटरों की क्रय से संबंधित अधिकारी के स्तर पर यह जांच बिन्दु बनाया गया है कि कम्प्यूटर की खरीद के लिए क्रयादेश देने वाले अधिकारी द्वारा क्रयादेश देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खरीद की जा रही कम्प्यूटर प्रणालियों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि

(ड.)	नामपट्ट आदि	
	अपेक्षा	जांच बिन्दु
5.	राजभाषा अनुदेशों और राजभाषा नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सभी नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, फ़ार्म, प्रकिया साहित्य, निमंत्रण पत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करवाए जाने चाहिए और सभी रजिस्टरों के शीर्षक अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिएं।	रबड़ की मोहर बनाने के लिए आदेश देने वाले अधिकारी के स्तर पर यह जांच बिन्दु बनाया गया है कि ऐसे आदेश देते समय यह सुनिश्चित करे कि बनवाई जाने वाली रबड की मोहरें हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाई जा रही हैं। सभी नामपट्ट और सूचना पट्ट बनाने के लिए आदेश देने वाले अधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे नामपट्ट और सूचना पट्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही तैयार किया जा रहे हैं। परिषद में प्रयोग के लिए क्रय किए जाने वाले विभिन्न रजिस्टर क्रय करने के लिए आदेश देने वाले अधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रय किए जाने वाले ऐसे रजिस्टरों के

शीर्षक हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही हों।

परिषद में समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोह के लिए जारी किए जाने वाले निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करने के लिए ऐसे समारोह के आयोजन के लिए उत्तरदायी अधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समारोह के लिए निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं।

परिषद में प्रयोग किए जाने वाले फार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए। इसलिए सभी अधिकारियों एवं प्रभागाध्यक्षों तथा प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अनुभाग/प्रभाग में प्रयोग में लाए जा रहे सभी फार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

कंप्यूटर पर कार्य करने में हिन्दी प्रयोक्ता की समस्याएँ

- एक, हिंदी में कंप्यूटर पर काम करना संभव ही नहीं है।
- दो, यदि है भी तो केवल निचले स्तर का काम ही संभव है।
- तीन, उच्च स्तर की सारी कंप्यूटरी केवल अंग्रेज़ी में होती है।
- चार, सारे मूल सॉफ्टवेयर अंग्रेज़ी में बनते हैं और प्रोग्रामिंग तो केवल अंग्रेज़ी में होती है।

और यदि आप यह साबित कर दें कि यह संभव है तो दूसरी तरफ यह कि—

- हिंदी में काम करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि पहले तो तुम्हें हिंदी टाइप करना नहीं आएगा ।
- दूसरे, अगर आ भी गई तो हिंदी फोंट नहीं मिलेगा ।
- तीसरे, यदि मिल भी गया तो तुम इंटरनेट ब्राउज़ नहीं कर सकोगे, ई-मेल नहीं भेज सकोगे।
- चौथे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो केवल अंग्रेज़ी में चलता है. यदि तुमने हिंदी का ऑपरेटिंग सिस्टम जुगाड़ भी लिया तो दूसरे कंप्यूटरों से कनेक्ट कैसे करोगे क्योंकि वे तो अंग्रेज़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं.

कंप्यूटर पर कार्य करने में हिन्दी प्रयोक्ता की समस्याएँ

इंटरनेट पर हिन्दी की प्रमुख वैबसाइट

1www.rajbhasha.nic.in

2. www.ildc°gov.in

3.www.shabdkosh.com

4. www.bhashaindia.com

5.www.raftar.com

6.www.cstt.nic.in

7.www.raftar.com

8. www.sahityakunj.net

Department of official Lan X

www.rajbhasha.nic.in

Apps | होमी भाभा विज्ञान शि | Canteen Stores Depa | Java Notes and Tutor | बैंगन में हैं बड़े गुण, जा | Java history - Java Tut | Java Programming - S | SH06069837: Hindu, H | Other bookmarks

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

गृह मंत्रालय - भारत सरकार

सत्यमेव जयते

अ- अ अ+ अ अ

मुख्य सामग्री पर जाएं | स्क्रीन रीडर का उपयोग | English| हिंदी

साइटमैप | विभाग से संवाद | हमसे संपर्क करें

राजभाषा संबंधी प्रावधान

- संवैधानिक प्रावधान
- राजभाषा अधिनियम 1963
- राष्ट्रपति का आदेश-1960
- राजभाषा संकल्प 1968
- राजभाषा नियम, 1976

सभी देखें

हमारे बारे में

- संगठन चार्ट
- नागरिक चार्टर
- विभाग के कार्य
- राजभाषा विभाग का बजट
- विभाग से संबंधित ई-बुक

सभी देखें

सूचना प्रबंधन प्रणाली | हिंदी प्रशिक्षण | आईटी - टूल्स | प्रोत्साहन योजनाएं | राजभाषा समारोह | वार्षिक कार्यक्रम/रिपोर्ट | शब्द पहेली/कहानियां

- परिचय
- कंप्यूटरों में हिंदी सक्रिय कैसे करें?
- गुगल वाइस टाइपिंग
- हिंदी सीखने के लिए लीला - प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ
- मशीन अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी) मंत्र-राजभाषा
- प्रवाचक-राजभाषा (हिंदी टेक्सट से हिंदी स्पीच)
- ई - महाशब्दकोश

श्री राजनाथ सिं

प्रोफ़ाइल संदेश

श्री किरेन रीजीजू, गृह राज्य मंत्री

प्रोफ़ाइल संदेश

www.rajbhasha.nic.in/#

ई-महाशब्दकोश

Department of official Lan
Dictionary
e-mahashabdkosh.rb-aai.in
Apps
होमी भाभा विज्ञान शिक्
Canteen Stores Depar
Jn Java Notes and Tutori
बैंगन में हैं बड़े गुण, जा
Java history - Java Tut
Java Programming - S
SH06069837: Hindu, H
Other bookmarks
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
सत्यमेव जयते
सी डैक
CDAC
ई-महाशब्दकोश
e-Mahashabdkosh
Home | Search Words | About Us | Foreword | Contact Us
Hindi
Search Words
Domain English Usage Hindi Usage English Description Hindi Description All
Select Domain
All
Search
Show Keyboard
Select
©2008 Department of Official Language (DOL) and Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). All rights reserved.
Disclaimer:
All Information displayed in this website is intended for general public use. For accuracy and correctness of the displayed content it has been referred to Commission for Scientific & Technical Terminology (CSTT), Ministry of Human Resource Development, Government of India.The work towards the checking and/or vetting is in progress. Liability for any loss from errors and/or omissions (if any) in the content is expressly disclaimed.

वाचक- राजभाषा (हिन्दी टेक्स्ट से हिन्दी स्पीच)

Department of official Lan | Home Page

https://pravachak-rajbhasha.rb-aai.in

Apps | होमी भाभा विज्ञान शिक्ष | Canteen Stores Depar | Java Notes and Tutori | बैंगन में हैं बड़े गुण, जा | Java history - Java Tut | Java Programming - S | SH06069837: Hindu, | Other bookmarks

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
सत्यमेव जयते

Pravachak वाचक RAJBHASHA राजभाषा

सी डैक CDAC

Home | हिंदी

Download Information | Product Features | Product Requirement

About Pravachak-Rajbhasha

Pravachak-Rajbhasha is a Hindi Text-to-Speech (TTS) system developed by Applied AI group, C-DAC, Pune with support of Department of Official Language (DOL), New Delhi. It transforms Hindi text (UNICODE) into Hindi speech. Pravachak-Rajbhasha has a facility of reading the selected Hindi (Unicode) text from a web page or a text/doc file.

File Size : 58.1 MB

Estimated Download Time:

© Copyrights 2010, Rajbhasha Vibhag and C-DAC. All Rights Reserved.

श्रुतलेखन- राजभाषा (हिन्दी स्पीच से हिन्दी टेक्स्ट)

मशीन अनुवाद (अंग्रेजी से हिन्दी) मंत्र-राजभाषा

हिन्दी सीखने के लिए लीला-प्रबोध , प्रवीण तथा प्राज्ञ

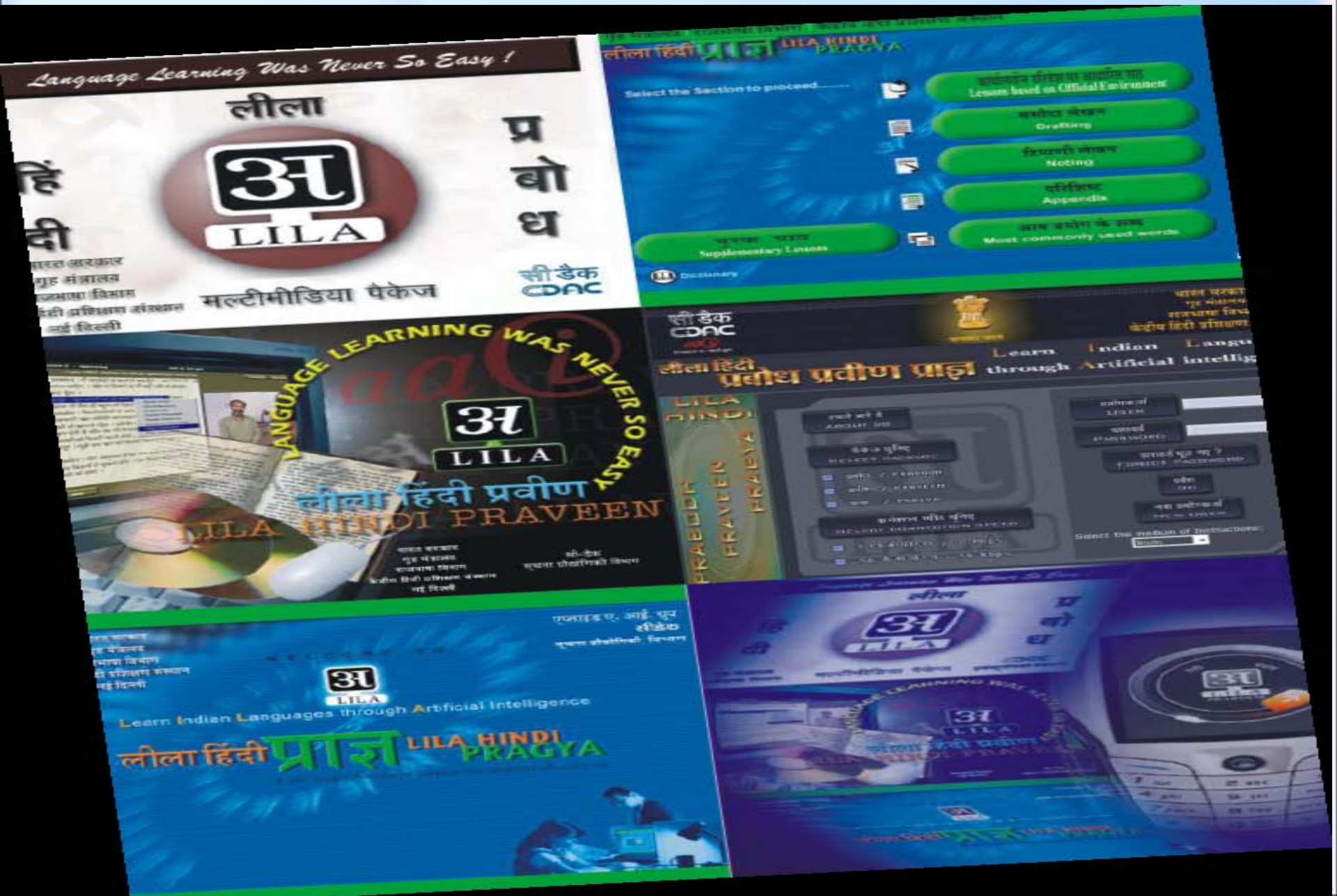

सुझाव (समाधान)

कंप्यूटर पर अन्य भाषाओं की ही तरह हिन्दी भाषा में भी आसानी से कार्य किया जा सकता है। प्रायः जानकारी के अभाव में हिन्दी में कार्य करने मे हमें कठिनाई होती है या हम झिझक महसूस करते है। कम्प्युटर पर हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है जरूरत है तो बस उन सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने और उन्हे उपयोग में लाने की ।

आइये प्रोद्योगिकी के इस युग में हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के बीच हम इसके प्रति सवेदनशील बने और खुद को इसकी प्रगति में भागीदार बनाएँ ।

अंग्रेज़ी में निरंतर कार्य करने की आदत की समस्या

सुझाव (समाधान)

शुरुआत छोटे से करें और एक वातावरण बनाएं।

1.सभी कर्मचारियों से हिंदी में हस्ताक्षर करने का अनुरोध ।

2.सभी फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी।

3.कार्यालय में आज का हिंदी शब्द और आज का सुविचार अवश्य लगाएं।

4.“ यह तो हिंदी का काम है” की मानसिकता त्यागें।

हिंदी के प्रति हीन भावना की मानसिकता

हिंदी के प्रति हीन भावन क्यों?

- विश्व में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषाओं में हिन्दी का दूसरा स्थान है। विदेशी विद्वान भी हिन्दी सीखने हेतु लालायित रहते हैं।

- भारत और विश्व के 90 करोड़ लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।
- हमारे देश की राजभाषा है।
- हमारे देश की संपर्क भाषा है।
- हमारे देश की मनोरंजन की भाषा है।
- हमारे देश की व्यापार की भाषा है।
- फिर ऐसी समृद्ध,सुमधुर और वैज्ञानिक भाषा को अपनाने में हीन भावना या हिचक क्यों?

सुझाव (समाधान)

लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन ही हिन्दी में कार्य करने की कुंजी हैं

प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति एवं दंड के अभाव में नियमों की उपेक्षा एवं अवहेलना

राजभाषा कार्यान्वयन में प्रेरणा और प्रोत्साहन के सिद्धांत को अपनाया गया है।इसके पीछे भारत की बहुभाषी संस्कृति को दृष्टि में रखा गया है। नियमों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है।

सुझाव (समाधान)

इस व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें

जानबुझकर नियमों के उल्लंघन करने पर कार्यालय प्रमुख के पास प्रभावकारी जाँचके अधिकार सुरक्षित है,परंतु यह आपके कार्यालय की प्रतिष्ठा आपकी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा पर निर्भर है।

हिंदी कार्यान्वयन की जबावदेही सिर्फ कार्यालय प्रमुख की ही नहीं आपितु सभी कार्मिको की बनती है अतः एक जिम्मेदार कर्मचारी के तौर पर कार्यालय और कार्यालय प्रमुख की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें।

हिंदी की समृद्धि ही देश समृद्धि है

स्वयं हिंदी में काम करें और सहयोगियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करें

धन्यवाद...